

प्रेस नोट दिनांक 20.12.2025

प्रेस नोट दिनांक 20.12.2025

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

हत्या, हत्या का प्रयास व एससी/ एसटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों, अरविन्द कुमार विश्वकर्मा व दशरथ सरोज को थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार -

अभियुक्त को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत लखनपुरशूर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया, साथ ही घटना में घटना में प्रयुक्त 02 अदद डण्डा बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 07.12.2025 की शाम वादी व वादी के परिजनों के साथ आरोपीगणों द्वारा हॉकी व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। जिसके संबंध में थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 231/2025 धारा 191 (2)/190/191 (3)/115(2) 109 (1)/131/352/351 (3) BNS व 3 (1) /3 (1)ध/3 (2)V/3(2) VA SC/ST एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ बनाम 08 नामजद एवं 4-5 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया था। घायल वादी को सीएचसी सांगीपुर से लखनऊ रेफर किया गया, जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। अभियोग उपरोक्त में धारा 103(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सांगीपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में म0उ0नि0 स्वाति वर्मा मय उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार, उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह हे0 का0 कमलाशंकर दुबे, का0 कुलदीप पाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 231/2025 धारा 191 (2)/191 (3)/115(2)/109 (1)/ 131/352/351 (3) BNS व 3 (1)द,3(1)ध, 3 (2)V,3(2) VA SC/ST एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्तों, 1.अरविन्द कुमार विश्वकर्मा पुत्र रामेश्वर विश्वकर्मा उम्र करीब 27 वर्ष व 2. दशरथ सरोज पुत्र रामदेव सरोज उम्र करीब 25 वर्ष निवासीगण ग्राम लखनपुरसूर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को घटना में प्रयुक्त 02 अदद डण्डा के साथ थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत लखनपुरशूर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.अरविन्द कुमार विश्वकर्मा पुत्र रामेश्वर विश्वकर्मा उम्र करीब 27 वर्ष ग्राम लखनपुरसूर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

2.दशरथ सरोज पुत्र रामदेव सरोज उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम लखनपुरसूर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 02 अदद डण्डा बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

म0उ0नि0 स्वाति वर्मा मय उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार, उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह हे0 का0 कमलाशंकर दुबे, का0 कुलदीप पाल थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 20.12.2025

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

दुष्कर्म, पॉक्सो व धर्म परिवर्तन के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह मय हमराह का0 स्वामी नाथ द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 74/123/64/352/351 (3)/137 (2)/87 बीएनएस व 3/4/7/8 पाक्सो एक्ट व 3,5(1) विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना दिलीपपुर प्रतापगढ़ में वांछित 01 अभियुक्त मो० आजाद पुत्र मो० अमीन नि0 ग्राम रामपुर आधारगंज पोस्ट शिवगढ विन्दागंज थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना दिलीपपुर क्षेत्रांतर्गत सरखेलपुर नहर पुलिया चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मो० आजाद पुत्र मो० अमीन नि0 ग्राम रामपुर आधारगंज पोस्ट शिवगढ विन्दागंज थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष दिलीपपुर श्री बलराम सिंह मय हमराह का0 स्वामी नाथ थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 20.12.2025

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर पुलिस और विशेष टीम / चोरी अनावरण टीम को बड़ी सफलता:

चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में चोरी का माल (अनुमानित कीमत 6.2 लाख), वाहन व घातक आयुध बरामद,

अभियुक्तों द्वारा थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खानकाह में वादी के घर में ताला तोड़कर चोरी की घटना कारित की गई थी जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर प्रभावी कार्यवाही की गई-

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की सफेद धातु 28 अदद, पीली धातु 19 अदद, 02 अदद क्रिस्टल ब्रैसलेट हाथ, 02 अदद सिक्के 05 रुपये मूल्य, 13 अदद इस्तेमाली कपड़े, 04 अदद मोटर साइकिल व घटना में प्रयुक्त 04 अदद लोहे का सरिया बरामद-

चोरी के अभियोग से संबंधित 04 अभियुक्तों को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्रांतर्गत बिटियन मेला ग्राउण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा अपराध स्वीकार, भारी मात्रा में चोरी की संपत्ति बरामद

प्रतापगढ़।

वादी निवासी खानकाह थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना मानिकपुर पर तहरीर दी गई कि दिनांक 14.12.2025 को वह अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम में प्रयागराज गया हुआ था। घर पर उसकी पत्नी एवं छोटे बच्चे मौजूद थे। रात्रि में किसी अज्ञात चोर द्वारा घर का ताला तोड़कर चोरी कर ली गई है। कमरे में रखा लोहे का बक्सा जिसमें कपड़े, सोने-चांदी के आभूषण एवं नकद रुपया रखा था, गायब पाया गया। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं 289/25 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटना स्थल से साक्ष्य संकलन, तकनीकी जानकारी व सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्तों की शिनाख्त एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह मय हमराह व

प्रभारी स्पेशल टीम निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 289/25 धारा-305 (ए) बीएनएस से संबंधित 04 अभियुक्तों, 1.तस्लीम पुत्र मो0 नफीस उम्र करीब 21 वर्ष, 2. रेहान पुत्र कमरुल हसन उम्र करीब 23 वर्ष, 3. सैय्यद फरीदुद्दीन उर्फ फहद पुत्र कमर अहमद उम्र करीब 24 वर्ष, 4. मोनू पुत्र मच्छू उम्र करीब 26 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम जलालपुर धई थाना गदागंज जनपद रायबरेली को सफेद धातु 28 अदद, पीली धातु 19 अदद, 02 अदद क्रिस्टल ब्रैसलेट हाथ, 02 अदद सिक्के 05 रुपये मूल्य, 13 अदद इस्तेमाली कपडे, 04 अदद मोटर साइकिल व घटना में प्रयुक्त 04 अदद लोहे का सरिया के साथ थाना मानिकपुर क्षेत्रांतर्गत बिटियन मेला ग्राउण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-(5), 61(1), 317(2), 307 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई तथा 04 मोटर साइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. तस्लीम पुत्र मो0 नफीस निवासी ग्राम जलालपुर धई थाना गदागंज जनपद रायबरेली उम्र करीब 21 वर्ष।
2. रेहान पुत्र कमरुल हसन निवासी ग्राम जलालपुर धई थाना गदागंज जनपद रायबरेली उम्र करीब 23 वर्ष।
3. सैय्यद फरीदुद्दीन उर्फ फहद पुत्र कमर अहमद निवासी ग्राम जलालपुर धई थाना गदागंज जनपद रायबरेली उम्र करीब 24 वर्ष।
4. मोनू पुत्र मच्छू निवासी ग्राम जलालपुर धई थाना गदागंज जनपद रायबरेली उम्र करीब 26 वर्ष।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 14.12.2025 को वादी के घर ग्राम खानकाह में चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से एक संगठित गिरोह के रूप में एकत्र होकर घातक आयुध (लोहे की सरिया) का प्रयोग करते हुए घर के सदस्यों को भयभीत कर चोरी की थी। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि चोरी की गई संपत्ति को उन्होंने बिटियन ग्राउंड में छिपा दिया था तथा आज पुनः चोरी की संपत्ति के बंटवारे एवं एक अन्य चोरी की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से एकत्र हुए थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

पूछताछ में यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि अभियुक्तगण एक संगठित आपराधिक गिरोह के सदस्य हैं, जो एकांत एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के घरों को निशाना बनाकर चोरी, लूट एवं डकैती की घटनाएं करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1- सैय्यद फरीदुद्दीन उर्फ फहद पुत्र कमर अहमद, निवासी जलालपुर धई, थाना गदागंज, जनपद रायबरेली का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-280/19 धारा 147/323/324/504/506 भादवि, थाना गदागंज, जनपद रायबरेली।
2. मु0अ0सं0-289/25 धारा 305(ए)/61(1)/217(2)/307/3(5) बीएनएस, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

2- मोनू कुरैशी पुत्र मच्छू उर्फ माशूक, निवासी जलालपुर धई, थाना गदागंज, जनपद रायबरेली का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-236/24 धारा 87 बीएनएस, थाना गदागंज, जनपद रायबरेली।
2. मु0अ0सं0-53/08 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना गदागंज, जनपद रायबरेली।
3. मु0अ0सं0-289/25 धारा 305(ए)/61(1)/217(2)/307/3(5) बीएनएस, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

3- तस्लीम पुत्र मो0 नफीस, निवासी जलालपुर धई, थाना गदागंज, जनपद रायबरेली का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-289/25 धारा 305(ए)/61(1)/217(2)/307/3(5) बीएनएस, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

4- रेहान पुत्र कमरुल हसन, निवासी जलालपुर धई, थाना गदागंज, जनपद रायबरेली का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-289/25 धारा 305(ए)/61(1)/217(2)/307/3(5) बीएनएस, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

सफेद धातु 28 अदद, पीली धातु 19 अदद, 02 अदद क्रिस्टल ब्रेसलेट हाथ, 02 अदद सिक्के 05 रुपये मूल्य, 13 अदद इस्तेमाली कपड़े, 04 अदद मोटर साइकिल व घटना में प्रयुक्त 04 अदद लोहे का सरिया बरामद। जिसमें सफेद धातु की विभिन्न पाजेब, पायल (बच्चों व बड़ों की), हाथ व पैर के कंगन, बिछिया, सिंदूरदानी, लॉकेट, हाथफूल, कड़ा, क्रिस्टल ब्रेसलेट, धागे की माला, पुराने 05 रुपये के सिक्के, पीली धातु की अंगूठियाँ, गले की चेन, मंगलसूत्र, कान के झाले, सुई-धागा, कान का सहारा, नाक की कील, गले का हार सहित कुल विभिन्न जेवरात बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त 05 अदद इस्तेमाली लहंगा, 04 अदद साड़ी, 03 अदद घाघरा-चोली, 01 पैजामी, 04 अदद मोटरसाइकिल तथा 04 अदद लोहे के सरिया के टुकड़े (घातक आयुध) भी बरामद हुए।

पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह मय हमराह का० काशी राजभर, म०का० रीतेश राणा, चालक हे०का० अमित सिंह उ०नि० सन्तोष कुमार यादव, उ०नि० उमेश प्रताप सिंह, उ०नि० मो० नदीम खान, उ०नि० अचिन्त्य शुक्ला, का० रामदेव गौतम, का० राजेश पाल, का० हरवीर सिंह, का० भीमराव थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रभारी विशेष टीम, निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह मय हमराह हे०का० कमलेश सिंह, का० महेश सिंह, का० बृजेश सिंह, का० सुनील यादव, का० वीरेन्द्र यादव जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 20.12.2025

थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 04 अभियुक्तों को थाना फतनपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त रॉड बरामद -

घटना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 19.12.2025 को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत वीरापुर बाजार में कैमरा लगाने के विवाद को लेकर दो पक्षों के मध्य हुई मारपीट एवं जानलेवा हमले व पत्थरबाजी के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर पर मु०अ०सं० 300/2025 अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(2), 324(4), 109(1), 110 बीएनएस बनाम प्रथम पक्ष के 04 नामजद एवं 9-12 अज्ञात व्यक्ति तथा द्वितीय पक्ष के 06 नामजद एवं 15-20 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ०नि० सुनील गुप्ता मय हमराह हे०का० मो० आरिफ, का० अजय यादव, का० ध्रुवेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान प्राप्त सूचना पर मु०अ०सं० 300/25 धारा-191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(2), 324(4), 109(1), 110 बीएनएस थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 04 अभियुक्तों, 1.सोनू जायसवाल पुत्र ईश्वरचन्द्र जायसवाल 2.भोला जायसवाल पुत्र अशोक जायसवाल 3.रिषभ जायसवाल पुत्र मनोज जायसवाल 4.गुलाबचन्द्र पुत्र पन्नालाल समस्त निवासी ग्राम वीरापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत वीरापुर बाजार से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त सोनू जायसवाल उपरोक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रॉड बरामद किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सोनू जायसवाल पुत्र ईश्वरचन्द्र जायसवाल निवासी ग्राम वीरापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ प्र उम्र करीब 29 वर्ष ।
2. भोला जायसवाल पुत्र अशोक जायसवाल निवासी ग्राम वीरापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ प्र उम्र करीब 28 वर्ष ।
3. रिषभ जायसवाल पुत्र मनोज जायसवाल निवासी ग्राम वीरापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष ।
4. गुलाबचन्द्र पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम वीरापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 47 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्तों को आपराधिक इतिहास-

गुलाबचन्द्र पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम वीरापुर, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास

01.मु0अ0सं0 269/16 धारा 147,148,149,323,504,506,353,332,186,188,336,452,427 भादवि व 7 CLA एक्ट, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

02.मु0अ0सं0 270/16 धारा 147/148/149/323/325/427/452 भादवि, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

03.मु0अ0सं0 237/20 धारा 147/352/380/457/504/506 भादवि, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

04.मु0अ0सं0 220/22 धारा 147/323/325/504/506 भादवि, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

05.मु0अ0सं0 300/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(2)/324(4)/109(1)/110 बीएनएस, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

भोला जायसवाल पुत्र अशोक जायसवाल निवासी ग्राम वीरापुर, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 23/20 धारा 308/374/507/506 भादवि व 14/3 बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

02.मु0अ0सं0 300/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(2)/324(4)/109(1)/110 बीएनएस, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

सोनू जायसवाल पुत्र ईश्वरचन्द्र जायसवाल निवासी ग्राम वीरापुर, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0

269/16

धारा

147,148,149,323,504,506,353,332,186,188,336,452,427 भादवि व 7 CLA एक्ट, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

02.मु0अ0सं0 270/16 धारा 147/148/149/323/325/427/452 भादवि, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

03.मु0अ0सं0 220/22 धारा 147/323/325/504/506 भादवि, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

04.मु0अ0सं0 300/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(2)/324(4)/109(1)/110 बीएनएस, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त 01 अदद रॉड बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सुनील गुप्ता मय हमराह हे0का0 मो0 आरिफ, का0 अजय यादव, का0 ध्रुवेश कुमार थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 20.12.2025

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ ।

चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, नगद 2270/- रुपये बरामद-

अभियुक्त को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत असोगी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त धम्मन पर चोरी, गोवध, गुण्डा, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर एक दर्जन से अधिक मुकदमें हैं दर्ज-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.12.2025 को वादी की तहरीर के आधार पर रात्रि में उनके सरिया में बंधी बकरियों को चोरी कर मोटरसाइकिल पर लाद कर ले जाने के संबंध में थाना संग्रामगढ़ पर मु0अ0सं0 235/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 02 मोटर साइकिल पर सवार अज्ञात 04 व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में उ0नि0 प्रशांत कटियार मय उ0नि0 गौरव त्रिवेदी मय हमराह का0 वीरेंद्र कुमार, का0

रामनिवास द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मु0अ0सं0 235/25 धारा 331(3), 305A, 317(2) बीएनएस थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़ से संबंधित धम्मन पुत्र स्व० अलेमान निवासी कुरैशी का पुरवा राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 47 वर्ष, को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत असोगी नहर पुलिय के पास से गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त मुकदमे में चोरी गये माल के हिस्से के रुपये बरामद होने के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. धम्मन पुत्र स्व० अलेमान निवासी कुरैशी का पुरवा राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 47 वर्ष।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथियों के साथ थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत नया पुरवा में एक कोठरी का ताला तोड़कर चार बकरियां चोरी की थीं, जिन्हें सलोन की ओर बाजार में बेच दिया गया था। बिक्री से प्राप्त राशि में से अभियुक्त के हिस्से में ₹5500 आए थे, जिनमें से कुछ खर्च हो चुके हैं तथा शेष राशि बरामद हुई है। अभियुक्त ने बताया कि चोरी के दौरान बकरियों के मुंह पर टेप बांध दिया जाता था, जिससे वे चिल्ला न सकें। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि आज भी वे चोरी के उद्देश्य से घूम रहे थे, तभी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त धम्मन पुत्र स्व० अलेमान निवासी कुरैशी का पुरवा राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-123/15 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0-203/09 धारा 110 जी सीआरपीसी, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0-124/13 धारा 110 जी सीआरपीसी, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0-120/13 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 429/504/506 भादवि तथा 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0-184/18 धारा 147/148/323/332/336/353/307/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
06. मु0अ0सं0-179/16 धारा 392/323/506 भादवि, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
07. मु0अ0सं0-141/15 धारा 110 जी सीआरपीसी, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
08. मु0अ0सं0-127/15 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
09. मु0अ0सं0-99/15 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

10. मु0अ0सं0-100/15 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

11. मु0अ0सं0-11/19 धारा 3(1) यूपी गुण्डा अधिनियम, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

12. मु0अ0सं0-235/25 धारा 331(3), 305A, 317(2) बीएनएस, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- चोरी के माल बिक्री के 2270 रूपये नगद व खाकी टेप बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 प्रशांत कटियार मय उ0नि0 गौरव त्रिवेदी मय हमराह का0 वीरेन्द्र कुमार, का0 रामनिवास थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दि0-20.12.2025

थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

थाना अंतू पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना अंतू के उ0नि0 शुभनाथ साहनी मय उ0नि0 गौतम बनर्जी मय हमराह का रणजीत सिंह, का0 सर्वेश धनगर, का0 उपेन्द्र यादव के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर एसटी संख्या 154/23 मु0अ0सं0 277/2022 धारा 323/504/506/307,302 भादवि थाना अन्तू प्रतापगढ़ से संबंधित वारंटी अभियुक्त (साक्षी) वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र स्व० बृजलाल वर्मा नि० बहेलियापुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र स्व० बृजलाल वर्मा नि० बहेलियापुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 शुभनाथ साहनी मय उ0नि0 गौतम बनर्जी मय हमराह का रणजीत सिंह, का0 सर्वेश धनगर, का0 उपेन्द्र यादव थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ ।